20/12/22 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 वकील प्रार्थी ने विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा लेकर रसीदें पेश की। विपक्षीगण को विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जावे हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 193/2022 (GCMS No. 2022/340)

प्रार्थीगण :–

1. मोडाराम वल्द लाभूराम
   कौम जाट साकिन बाण्ड तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आसूराम वल्द सुखा
2. जसाराम वल्द पूनमाराम
3. बांकाराम वल्द वगताराम
4. सोनाराम वल्द वगताराम
5. केहरा वल्द सेवा
6. जूंजाराम वल्द गोरधन
7. जेठा वल्द सगरामा
8. मूला वल्द अमरा
9. सजनी पत्नी फूसाराम
   कौम जाट सकिन लाला की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
10. खरता वल्द अचला
11. तजाराम वल्द पोकराराम
12. पूनमा वल्द लिखमा
13. भैराराम वल्द पोकराराम
14. वीरमा वल्द अचला
15. चूनाराम वलद हरचंदराम
16. उदाराम वल्द हरचंदराम
17. डूंगराराम वल्द प्रहलाद
18. पूनमाराम वल्द प्रहलाद
19. ठाकराराम वल्द कानाराम
20. अनाराम वल्द कानाराम
21. चूनीदेवी पत्नी खेताराम
22. जेठीदेवी पत्नी मगाराम
23. मगाराम वल्द पदमाराम
24. खेताराम वल्द पदमाराम
25. पेमा वल्द खेता
26. पूरा वल्द खेता
27. अचला वल्द सता
28. आदू वल्द सता
29. हरखा वल्द सता
    कौम जाट साकिन बाण्ड तहसील नौखड़ा
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी/नौखडा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा – विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 20.12.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थन[illegible]तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम [illegible] का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। [illegible] विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के खिलाफ [illegible]जूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :– 2076–2079 – जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 416, 418, 418/2, 432, 441 रकबा क्रमशः 0.0324, 1.1655, 1.4569ए 5.7708, 20.9060 हैक्टेयर एवं ग्राम लाला की बेरी के खेत खसरा नम्बर 411/371 रकबा 5.9974 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 416, 418, 418/2, 432, 441 रकबा क्रमशः 0.0324, 1.1655, 1.4569ए 5.7708, 20.9060 हैक्टेयर एवं ग्राम लाला की बेरी के खेत खसरा नम्बर 411/371 रकबा 5.9974 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .... को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:59 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी